–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–113/2022

उनवान

मोहम्मद पुत्र सम्मा जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :– जरियें राज. पैरोकार

2. लक्ष्मण पुत्र सम्मा
3. गीता पत्नी बाबू पुत्रवधु सम्मा
4. हुसैन पुत्र बाबू पौत्र सम्मा
5. मुमताज पुत्र बाबू पौत्री सम्मा
6. गम्मा पुत्र बाबू पौत्र सम्मा समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
———— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 2 से 6 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/3/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प. म. भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 67 रकबा 1–0–0 के हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 0.05, 90/3097 रकबा 0.06 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पूर्वजके नाम वंर्किग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। हाल राजस्व अभिलेख बनाते समय उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 2 से 6 अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 67 रकबा 1–0–0 वंर्किग जमाबंदी में मौहम्मद, बाबू, लक्ष्मण पि. सम्मा के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्तमान में भूमि चरागाह दर्ज है। ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः वाद चलने योग्य नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. . आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:39 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 32 रकबा 2–16–10 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में बेली पुत्र करणा मेहरात के नाम दर्ज है। वादी का उक्त व्यक्ति के साथ क्या संबध है यह वादपत्र में स्पष्ट नही किया है। बेली पुत्र करणा का शजरा भी वादी द्वारा पेश नही किया गया है। चौसाला खसरा नम्बर 32 के वंर्किग खसरा नम्बर 67 रकबा 0–14–0 का मिलान ही वादी द्वारा पेश किया गया है। जबकि वंर्किग खसरा नम्बर 67 व चौसाला खसरा नम्बर 32 के शेष रकबे का मिलान वादी द्वारा पेश नही किया है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 67 रकबा 1–0–0 ही वादी के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज था। वादी द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 67 के शेष रकबे की वंर्किग जमाबंदी भी प्रकरण में पेश नही की है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 0.05, 90/3097 रकबा 0.06 पर खातेदारी अनुतोष चाहा है किन्तु उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज है। शेष रकबे की स्थिति स्पष्ट नही करने के कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने के लिये भी वादी द्वारा खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश नही की है। वादी बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अध्किारी नही है। अतः आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी कब्जा काश्त व खातेदारी की सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम व प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 0.05, 90/3097 रकबा 0.06 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मौहम्मद बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 113/2022
पेश करने की दिनांक – 28.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 95 रकबा 0.05, 90/3097 रकबा 0.06 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह0 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद